बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 10/2015– /पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

विषय– विभागान्तर्गत बदीउज्जमाँ खान इन्स्टीच्यूट ऑफ पोलिटेकनिक, पुपरी, सीतामढ़ी में एक जीरॉक्स मशीन, एक 25 केभीए डीजल जेनरेटर, तीन वाटर कूलर (with aquaguard/UV complete set), प्रिंटर/स्कैनर एवं छात्रावास के उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू॰ 25,00,000=00 (पच्चीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, बदीउज्जमाँ खान इन्स्टीच्यूट ऑफ पोलिटेकनिक, पुपरी, सीतामढ़ी के कार्यालय पत्रांक–39, दिनांक 09.7.2015 एवं पत्रांक–49, दिनांक 11.03.2016 के द्वारा की गई मांग के आधार पर संस्थान में एक जीरॉक्स मशीन, एक 25 केभीए डीजल जेनरेटर, तीन वाटर कूलर (with aquaguard/UV complete set), प्रिंटर/स्कैनर एवं छात्रावास के उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू॰ 25,00,000=00 (पच्चीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजना बजट के "मुख्य शीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104 –बहुशिल्प, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0102–पोलिटेकनिक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय" के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर विषयशीर्ष में तृतीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड–पी 4202021040102 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संस्थान के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, सीतामढ़ी से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि से प्रक्रिया पालन के साथ नियमानुसार क्रय की जाने वाली मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होगें तथा क्रय की गई मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक एवं अधियाचना से अधिक सामग्री की खरीदारी नहीं की जाएगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –
(ओम प्रकाश राय)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि.प्रा. (III) यो.– 10/2015– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि.प्रा. (III) यो.– 10/2015– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि.प्रा. (III) यो.– 10/2015– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, बदीउज्जमाँ खान इन्स्टीच्यूट ऑफ पोलिटेकनिक, पुपरी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि.प्रा. (III) यो.– 10/2015– 761 /पटना, दिनांक– 10/3/016

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/16
सरकार के अपर सचिव

10/3/16